201 से 300 नग

स्थापना वर्ष – 2013-14

॥ विद्या सर्वस्य भूषणम् ॥

शासकीय नवीन महाविद्यालय

साल्हेवारा (छ.ग.)

शैक्षणिक सत्र 2016–2017

प्रवेश विवरणिका

कांच्छी आफसेट 9893222370

मुल्य – 30/–

शासकीय नवीन महाविद्यालय

साल्हेवारा, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

शासकीय नवीन महाविद्यालय साल्हेवारा की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना वर्ष से आज तक यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन द्वारा संचालित है। इस महाविद्यालयको पं. रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा संबद्धता प्राप्त है। अत: विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा संबंधी योजना वि. वि. के शर्तो एवं निर्णयों पर आधारित होगी। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महाविद्यालय की स्थापना की गयी थी।

उद्देश्य :

1. ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ।
2. न्यूनतम व्यय पर उच्च शिक्षा प्रदान करना ।
3. मानव संसाधन का विकास करना ।
4. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास एवं नैतिक विकास करना।
5. रोजगार नियोजन, मार्गदर्शन प्रदान करना ।

1. सत्र :

ग्रीष्मावकाश के बाद प्रतिवर्ष महाविद्यालय का सत्र 15 जून से आरंभ होता है। कक्षायें 10.30 से 5.30 बजे तक लगती है।

2. संकाय एवं विषय :

महाविद्यालय में तीन संकाय है। कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर पढाये जाने वाले विषयों का विवरण निम्नानुसार है।

2.1 कला संकाय :-

(क) स्नातक स्तर :-

अ) बी.ए. भाग -1 में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये - आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय) तथा निम्न वैकल्पिक विषयों में से कोई भी तीन विषय लेना होगा :-

(1) समाज शास्त्र (2) राजनीति शास्त्र

(3) अर्थशास्त्र

ब) बी.ए. भाग - 2 एवं 3 के छात्र पूर्व में चयनित विषयों का अध्ययन करेंगे।

2.2 वाणिज्य संकाय :-

(क) आधार पाठयक्रम एवं अन्य अनिवार्य विषय

2.3 विज्ञान संकाय :-

बी.एस.सी. भाग -1, 2 एवं 3 में आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय होगा।

(1) ~~गणित~~ (2) ~~भौतिक~~ (3)रसायन शास्त्र

3. प्रवेश तिथि :-

3.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित, उस दिनांक तक जमा किए जायेगें जो महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तय किया जायेगा। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दर्शाने हेतु महाविद्यालयके प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर सूचना कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/वि.वि.द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावेगें।

3.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोडकर प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से (स्थान रिक्त रहने पर) प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें।

विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि, महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि. / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 6 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

3.3 पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि का निर्धारण :

पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पूनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम मे आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3.4 प्रायोगिक कार्य हेतु अमहाविद्यालयीन छात्रों का प्रवेश :-

प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने हेतु अनुमति दी जावेगी।

अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को यह विशेष रूप से जान लेना चाहिये कि प्रायोगिक कक्षाओं के लिये जो छात्र–छात्रा इस महाविद्यालय में प्रवेश लेगें केवल उन्ही के परीक्षा आवेदन पत्र इस महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के लिये अग्रेषित किए जावेगे, अन्यों के नही। अत: प्रायोगिक कार्य के लिये प्रवेश न पाने वाले छात्र–छात्रायें अपने परीक्षा फार्म इस महाविद्यालय में जमा न करें। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथा समय सूचित की जावेगी। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियें को निर्धारित प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।

4. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

4.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेगें।

इस आधार पर महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं हेतु निम्ननानुसार सीटें निर्धारित है /–

(1) बी.ए. भाग – 1,2 एवं 3 , बी.एस.सी.भाग1,2 एवं 3, बी. कॉम. भाग1,2 एवं 3

(2) एम. ए. पूर्व/ अंतिम (हिन्दी साहित्य कक्षाओं हेतु)

4.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्ही निर्धारित विषय/ विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार प्रत्येक कक्षा में प्रवेश देगें।

5. प्रवेश सूची :–

(क) प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी। जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा। सामान्य आरक्षित श्रेणी के लिए अलग – अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

(ख) प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं जहॉ आवश्यक हो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।

(ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को आवश्यक रूप से निरस्त की सील लगाकर उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

(घ) घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के बाद प्रवेश की अनुमति नही दी जावेगी।

(ड) प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को जनभागीदारी प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

(च) प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की स्वयं की उपस्थिति आवश्यक होगी।

6. प्रवेश की पात्रता :–

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी , छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य अथवा केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में हो उनके पुत्र/ पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शास. महा. वि. में प्रवेश दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

(ख) किसी भी संकाय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों

के इंटरमिडीयेट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्ही विषयों की क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश हेतु उस विषय का अध्ययन स्नातक स्तर में करना आवश्यक है। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों की उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। यदि किसी छात्र के पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो उसे प्रवेश की पात्रता है लेकिन उसे मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एंव शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने कहीं प्रवेश नही लिया है, जमा करना होगा।

(ग) मान्यता प्राप्त बोर्ड/ वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रवेश दिया जावेगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन / सी.बी.एस.ई. तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमिडियेट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष है। मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय में उपलब्ध है।

(घ) सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है उनको समस्त परीक्षायें छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं ककातिया के बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग की परीक्षायें मान्य नही है।

(च) सम्बद्ध विश्व विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं यू.सी.जी. द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नही है, की जानकारी सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त की जावेगी।

(छ) **आयु सीमा** – स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से कम आयु होना आवश्यक है। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा प्रायाजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नही होगा।

अ.जा./अ.ज.जा/ पिछडा वर्ग /विकलांग /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

(ज) **वाह्य आवेदकों का प्रवेश :–** स्नातक स्तर तक एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के बाद ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र आवश्य देना होगा। छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

(झ) **अस्थायी प्रवेश :–** अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होग। स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा कें एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश, स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर होगा। उपरोक्त कंडिका (छ) के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जावेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश , नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

7. प्रवेश की अपात्रता :–

निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश नही दिया जायेगा –

(क) किसी भी महाविद्यालय / वि. वि. शिक्षण-विभाग से किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने /अध्ययन छोड देने / अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ख) जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और / या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो।

(ग) परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित न हो।

(घ) महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही दिया जावेगा।

(च) जो छात्र स्नातक स्तर की किसी संकाय की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसे स्नातक स्तर पर अन्य किसी संकाय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश की पात्रता नही है।

(छ) जिन विद्यार्थियों के विरूद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के द्वारा सर्वानुमति से प्रवेश न देने संबंधी निर्णय लिया गया हो।

(ज) पूर्णकालीन शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही है। दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा नियोक्ता की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(झ) विश्वविद्यालयीन नियम :-

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राये इस विश्वविद्यालय को छोडकर यदि मध्यप्रदेश , छ.ग. अथवा मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते है, तो उन्हें प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जोवगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवी) परीक्षा को छोडकर अन्य बोर्ड अथवा प्री- डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
2. पात्रता हेतु उन्हें अपने समस्त पूर्ववर्ती परीक्षाओं के अंकसूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियों, उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त हाने पर पात्रता हेतु फीस 40.00 (चालीस रूपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200.00 (दो सौ रूपये) विलंब शुल्क लगेगा जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जैसे ही विलंब शुल्क लागू होते है, उसी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा।
3. पात्रता प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय को कम से कम तीन दिनों एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक समय लग सकता है। एतएव यह सुझाव है कि वे अपना आवेदन समयानुसार विश्वविद्यालय में जमा करें।
4. यदि छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालय के पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक को उक्त विश्वविद्यालय का उक्त सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सकें।
5. राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचलित 10+2 परीक्षा (पांच विषयों में उत्तीर्ण) छात्र को त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता है।
6. रविशंकर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्वशासी महाविद्यालय खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर गैर स्वसाशी महाविद्यालय मे अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता है।

8. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

(क) प्रथम वर्ष स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

(ख) स्नातक अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा - उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।

(ग) किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय के स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में

स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

(घ) आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान उसके निवास/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले समीपस्थ स्थानों महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावेगा। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जवेगा।

(ड) **गुणानुक्रम** – उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के साथ देय अधिभार जोडकर गुणानुक्रम निर्धारित होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग अलग गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी।

9. आरक्षण :-

शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(क) अजा. एवं अजजा. के आवेदकों के क्रमश: 12 तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनो वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होगें।

(ख) पिछडे वर्ग (चिकने स्तर को छोडकर) के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको के 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(घ) सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों मे से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगें।

(च) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीद्वार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा गया है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी , परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्व. संग्राम से आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

(छ) आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा । 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

(ज) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राओं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगें।

10. संकाय/ विषय ग्रुप / परिवर्तन :-

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/ विषय परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत अंक घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा।

(ख) महाविद्यलाय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 3.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिन तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थीयों के देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

11. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जावेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

11.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स)–

(क) एन.एस.एस./ एन.सी.सी. ए सार्टिफिकेट – 2 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./ एन.सी.सी. बी सार्टिफिकेट या द्वितीय सोपान स्काउट्स – 3 प्रतिशत

(ग) एन.सी.सी. सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 4 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रातियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र को – 4 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./ एन.एस.सी कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को – 5 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स – 5 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स – 10 प्रतिशत

(झ) छ.ग. सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट – 10 प्रतिशत

(ड.) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट – 15 प्रतिशत

(ट) भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के तहत चयन एवं प्रवास करने वाले केडेट के / अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित विद्यार्थी को – 15 प्रतिशत

11.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

11.3 खेलकूद/ साहित्यिक/ सांस्कृतिक/क्विज /रूपांकन प्रतियोगितायें :–

1. लोक शिक्षण संचानालय अथवा छत्तीसगढ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 4 प्रतिशत

2. म. प्र./ छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छ.ग./म.प्र. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. राज्य की टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

3. उपरोक्त कंडिका 11.3(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा अयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्व विद्यालय संघ ए. आई. यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 6 प्रतिशत

(ख) व्यक्गित प्रतियोगिता में उपरोक्त स्थान प्राप्त करने वालों को – 7 प्रतिशत

(ग) संभाग/ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को – 5 प्रतिशत

भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

5. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एंव कल्चरल एक्चेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

6. जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 1 प्रतिशत

11.4 विशेष प्रोत्साहन – एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस आर्थारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाय जिनकी उनकी पात्रता है बशर्ते कि –

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होनें निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दुबारा प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: करना आवश्यक होगा।

11.5 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेगें। स्नातक द्वितीय तृतीय एंवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होगें।

12 प्रवेश के समय भुगतान किए जाने वाले शुल्क :–

(क) शासकीय शुल्क –

1.	(पूरे सत्र का)शिक्षण शुल्क	रू. 115/–
2.	स्टेशनरी शुल्क	रू. 2/–
3.	प्रयोगशाला शुल्क	रू. 20 /–
4.	प्रवेश शुल्क	रू 3/–
5.	पुन: प्रवेश शुल्क	रू. 10/–

(ख) अशासकीय शुल्क –

1.	सम्मिलित निधि शुल्क	रू. 32/–
2.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	रू. 5/–
3.	परिचय पत्र शुल्क	रू 3/–
4.	महाविद्यालय विकास शुल्क	रू. 25/–
5.	छात्र समिति शुल्क	रू. 2/–
6.	वि. वि. नांकन शुल्क	रू. 150/–
7.	निर्धन छात्र सहायता निधि शुल्क	रू. 5/–
8.	कामन रूम शुल्क	रू. 20/–
9.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (स्नातकोत्तर छात्रों कें लिए)	रू. 15/–
1o.	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रू.75/–

ग. जनभागीदारी शुल्क –

1.	महाविद्यालयीन विकास शुल्क	रू. 250/– (नियमित छात्रों के लिए) रू. 300/– अमहाविद्यालयीन/ भूतपूर्व छात्रों के वि. वि. परीक्षा में बैठने/ प्रायोगिक

(ड) महाविद्यालय शुल्क –

1. महाविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क रू. 150/–
2. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क वि. वि. द्वारा निर्धारित
3. अप्रवासन शुल्क (माइग्रेशन) रू. 200/–

(च) सुरक्षा निधि –

1. स्नातक स्तर (तीन वर्षो के लिए) रू. 60/–
2. स्नातकोत्तर (दो वर्षो के लिए) रू. 100/–

टिप्पणी –

प्रवेश नियमों में छ.ग. शासन द्वारा किये गये परिवर्तन मान्य होगें।

1. सभी प्रकार के शुल्क में शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र–छात्रा के संपूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य रूप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा महाविद्यालय छोडने की तिथि से इनका कोई संबंध नही है।
3. केवल छ.ग. की किसी अन्य शासकीय संस्था से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितने शिक्षण शुल्क का छात्र भुगतान कर चुका है वह उसे पुन: नही देना होगा। ऐसे छात्र पूर्व महाविद्यालय से शुल्क का भुगतान करने बाबत् आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. शिक्षण शुल्क संबंधित रियायतें :–

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियायतें केवल पूर्णकालीक छात्र/छात्राओं को ही मिल सकेगी।

1. राज्य शासन के सेवास्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत दी जाती है। द्वितीय श्रेणी के उन कर्मिचारियों के बच्चों को अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत दी जाती है। जिनकी आय 675.00 (पुनरीक्षित) अथवा पूर्व-वेतनमान 500.00 तक हो यह रियायत छात्र/छात्राओं को जिस कार्यालय मे उनके माता/पिता सेवारत हो उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी।
2. राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत बरती जायेगी।
3. दो से अधिक भाई–बहन (एक ही परिवार से) इस महाविद्यालय मे एक ही कक्षा मे अध्ययन करते है तो उसमें से सबसे बडे को पूर्ण और शेष का आधा शिक्षण शुल्क देना होगा।
4. शासन की ओर से कृषक पुत्रों/पुत्रियों के शिक्षण शुल्क में रियायत का प्रावधान है। बी.ए./बी.काम/बी.एस.सी. की कक्षा में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थीयों को सत्र में मात्र 78.00 शिक्षण शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए जिलाधीश अथवा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क का भुगतान पूर्णत: माफ है इसके लिए उन्हें जिलाधीश से या अधिकृत स्थानीय अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे छात्र/छात्राओं को समय समय पर महाविद्यालय के सूचना फलक में दी गई सूचनाओं का अवलोकन करते रहना चाहिए। अन्य शुल्क उन्हें पूरे जमा करना होगा, मात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति का प्रावधान है।

14. प्रवेश पत्र एवं उपयोग –

महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिलने के साथ ही प्राप्त प्रवेश पत्र समस्त देय शुल्कों का पूर्ण विवरण भी रहता है अत: सभी

छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र सावधानीपूर्वक रखे। छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शुल्क का भुगतान करते समय अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क जमा नही होगा। यह विद्यार्थियों के हित मे है कि वे शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जांच कर लें कि प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियां सही की गई है। प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र/छात्राओं को रू 5.00 जमा करके नया (डुप्लीकेट) प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।

15. परिचय पत्र एवं उपयोग –

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देते समय एक परिचय पत्र दिया जाता है। छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में हमेशा यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किए जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा की किसी भी शिक्षक/शारीरिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक दो पासपोर्ट आकार के फोटो छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जा सकती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा को रू. 10.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी कापी (डूप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

16. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना, साक्षात्कार एवं शुल्क का भुगतान :–

प्रवेशार्थी छात्र/छात्रा महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि की समाप्ति के पूर्व अपना आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें और आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में उल्लेखित) संलग्न करे साथ ही अपना दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लगायें।

यदि प्रवेशार्थी को प्रवेश के पूर्व साक्षात्कार के लिए बुलाया जाय तो उसे सभी प्रमाण पत्रों की तथा अंक सूची का मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यक शुल्क निर्धारित समय में जमा करने के पश्चात ही आवेदक का नाम प्रवेश प्राप्त महाविद्यालय छात्र/छात्रा की सूची में सम्मिलित किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जावेगा/ विलम्ब शुल्क देय होगा।

17. अनुशासन :– महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को एक गंभीर तथा दण्डनीय अपराध माना जावेगा। इस विषय में तुरंत कार्यवाही की जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिए कक्षाओं में सभी विषयों मं कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे महाविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की अभद्रता नही करेगें। अन्यथा ऐसे मामलो में उनके पालक को सूचित कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी विवाद में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा। महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परम्परा का भविष्य में भी निर्वाह होता रहेगा। विद्यार्थी का आचरण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में या बाहर अपने व्यवहार द्वारा महाविद्यालय का मस्तक ऊंचा रखेगें तथा महाविद्यालय परिसर में नियमों का एवं आचरण संहिता का पालन करना उनका आवश्यक कर्त्तव्य होगा।

17.1 आचरण संहिता – छात्रों के पालनार्थ :–

1. छात्रों को सरल निर्व्यसनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषत: कालेज की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। छात्रों को वेशभूषा की तडक भडक या विलासितापूर्ण श्रृंगार शोभा नही देता, इसका छात्र–छात्राओं को ध्यान रखना होगा।
2. छात्रों की यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचर्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्वक आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा।
3. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग वे नही अपनायेगें।
4. छात्र सक्रिय दलगत राजनीतित में भाग नही लेगें और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलो, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करायेगें और न इनसे कोई सहायता मागेंगें।

5. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जावेगा।

6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति कैसे बढे और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए ।

7. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि वे दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दे, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य (अध्ययन एवं अध्यापन) शांति और मनोयोग के साथ चल सके।

8. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि उन पर किसी अनैतिक मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग न लगे। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उनका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने नही रह सकेगें।

17.2 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालयीन अधिनियम :- मध्यप्रदेश विश्व वि. अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्र द्वरा महाविद्यालय में अथवा अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है - (1)निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकाना (4)रेस्टिकेशन

17.3 रैगिंग एवं दण्ड विधान:- रैगिंग की त्रासदायी प्रताडना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडता (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिग को सज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) रैगिंग से अभिप्राय है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्त्वि का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या अपराधिक बल प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

रैगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पांच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताडना का प्रकरण अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास मे प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होगें

18. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें :- महाविद्यालय के छात्र/छात्रा के हित को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय में कतिपय योजनायें चलाई गई है जिनका विवरण निम्न है :-

18.1 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र - महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का उचित पथ प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त रिक्त पदों की उन्हें सूचना देने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यता एवं वांछित मानसिक और शारीरिक दक्षता से परिचित कराने के लिए सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापको/ग्रन्थपाल की देखरेख में कार्य करता है तथा महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिए यह बहुत उपयोग प्रमाणित हो रहा है।

18.2 बुक बैंक योजना - महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ देने के ध्येय से महाविद्यालय ने बुक बैंक योजना लागू की है। इस योजना के अनुसार छात्र/छात्राओं का अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तके दी जाती है। यह योजना योग्य अनु. सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए है इसके तहत पुस्तकें उपलब्ध है। छात्र/छात्रायें निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।

18.3 पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभ प्रद पुस्तकें है। पृथक से विभागीय पुस्तकालय भी है, जिससे स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित होते है। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं मंगवाई जाती है। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रीडिंग रूम) है जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र के प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा है। पुस्तकें लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होता है।

पुस्तकालय का सामान्य नियम :-

1. स्नातक कक्षा के छात्र-एक समय मे पुस्तकायल से 14 दिन की अवधि के लिए 1 पुस्तक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन-देन करना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अपने विभागीय पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते है। इस अवधि के पश्चात पुस्तकें वापस नही करने वालों को विलंब के प्रतिदिन प्रतिबुक की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
3. छात्रों को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय वे पुस्ताकों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों के पृष्ठ कटें-फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रन्थपाल/सहायक ग्रन्थपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/ पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
5. पुस्कालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें नही लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तकें जमा करने पर वापस लौटा दी जावेगी।
6. छात्र/छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वत: अवगत होते रहें।

18.4 स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र/छात्रा को मेडिकल आफिसर के सामने उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। परीक्षण की तिथि एंव समय यथा समय सूचित किया जाता है।

18.5 सम्मिलित निधि समिति :-

शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय की सम्मिलित निधि का नियंत्रण एंव नियमानुसार आबंटन के लिए एक सम्मिलित निधि समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहतें है :-

(अ)	अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष	-	महाविद्यालय के प्राचार्य
(ब)	उपाध्यक्ष	-	महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक
(स)	सचिव	-	प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापक
(स)	सदस्य	-	1. प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत) 2. छात्र सदस्य छात्र संघ अध्यक्ष एवं सचिव, खेलकूद कप्तान मे से तथा विभिन्न शैक्षणिक समितियों सदस्य होगें

18.6 अनुशासन समिति :-

विद्यार्थियों के आपसी मतभेदों और साधारण झगडों को निपटाने तथा उनकी कठिनाईयों को दूर करने में मदद देने और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने के लिए प्राध्यापकों की एक अनुशासन समिति गठित की जाती है।

18.7 छात्रवृत्तियां / शिष्य वृत्तियां :-

महाविद्यालय शिक्षा संचनालय छ.ग. रायपुर के द्वारा छ.ग. शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से छात्रवृत्ति/शिष्य वृत्तियां प्रदान की जाती है। इच्छुक विद्यार्थी पात्रतानुसार अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पहले पूर्ण करके महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर दें। प्रपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि एवं कार्यालय के प्रारूप प्राप्त करने की सूचना महाविद्यालय के सूचना फलक में लगा दी जायेगी। एक विद्यार्थी कई छात्रवृत्तियों के लिए प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु उसे छात्रवृत्तियों के नियमानुसार एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है।

छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के नाम	अवधि	गैर छात्रवासी /छात्रावासी	योग्यता का आधार	न्यूनतम आय संबंधी
1	2	3	4	5
(क) भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय)				
1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	3 वर्ष	650/720 रू. वार्षिक	हा.से. पास50%अंक	माता पिता के वार्षिक आय रू. 6000/– से कम
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्नातक (सामान्य)	3वर्ष	60/100 रू प्रतिमाह	हा.से. पास 60%	माता पिता के वार्षिक आय 6000/– से कम
3. प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षको के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	30 माह	150रू प्रतिमाह	हा. से. पास 55%	योग्यता एंव साधन वार्षिक आय 24000 रू
(ख) राज्य शासन एकीकृत छात्रवृत्ति (शिक्षा विभाग)				
1. स्नातक छात्रवृत्ति (योग्यता)	30 माह	150 प्रतिमाह	हा. से. पास 60%	आय बंधन नही
2. स्नातक शिष्यवृत्ति (योग्यता एवं साधन)	3 वर्ष	150 प्रतिमाह	45 %	अधिकतम आय 6000/–
3. खेलकूद छात्रवृत्ति (योग्यता	10 माह	150 प्रतिमाह	45%	वि. वि. खेलकूद समारोह के लिए प्रदर्शन योग्यता के आधार
4. राष्ट्रीय छात्र सेना छात्रवृत्ति	10 माह	100 प्रतिमाह	45%	राष्ट्रीय छात्र सेना के वार्षिक शिविर में दिखाई गई योग्यता के आधार पर (योग्यता)
5. मृत शास. कर्मचारी या शरीर से असमर्थ कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के बच्चों को विशेष स्नातक शिष्यवृत्ति		65/100 रू		6000/–
6. मृत सैनिको के बच्चों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति		65/100 रू		मृत सैनिक छ.ग. का निवासी हो
7. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति		स्नातक – 300/– स्नातकोत्तर 500/–	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र	
8. डाकुओं तथा डाकुओं के द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को स्नातक शिष्यवृत्ति		स्नातक 50तथा 75रू स्नातकोत्तर प्रतिमाह	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र	साधन के आधार पर
9. निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष स्नातक छात्रवृत्ति अथवा एक मुश्त अनुदान		500/600रू	45%	निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर

टीप :– (1) उपरोक्त नियमों, आय पात्रता– आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर से शासन के निर्णायानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय सूचना फलक में लगा दिया जायेगा। (2) कर्मचारियों की आय मूल वेतन को मानी जायेगी। (3) अपूर्ण या गलत प्रपत्र अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र अमान्य कर दिये जायेगें। (4) यदि विद्यार्थी विगत वर्ष से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उसे नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रपत्र लेकर जुलाई माह में फिर से आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (5) उपरोक्त के अलावा अन्य छात्रवृत्तियों की जानकारी भी महाविद्यालय सूचना फलक में दी जाती है।

19. महाविद्यालयीन जन – भागीदारी प्रबंधन समिति :–

शासन ने महाविद्यालय की चहुंमुखी विकास हेतु नीति निर्धारण करने एवं आय के स्श्रोत खोजने तथा प्राप्त आय के समुचित व्यय करने के लिए सुझाव देने एवं नियंत्रण रखने, महाविद्यालय की समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश देने आदि के लिए महाविद्यालय विकास जनभागीदारी समिति का गठन किया है। इस समिति के अंतर्गत तीन उपसमितियों यथा सामान्य परिषद, प्रबंध समिति एवं वित्त समिति कागठन किया गया है। विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों के रूप में जन प्रतिनिधि, शासन के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय एंव यू.जी.सी. के प्रतिनिधि, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि यथा ग्राम पंचायत प्रमुख, दानदाता, औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि बैंक प्रबंधन , कोषालय अधिकारी, भूतपूर्व छात्र, कृषक, छात्र अभिभावक, महिला प्रतिनिधि, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि, महाविद्यालय का प्राचार्य एवं प्राधयापक प्रतिनिधियों का विभिन्न स्तरों द्वारा मनोनयन किया जाता है। समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिए जाते है।

20. शिक्षक – अभिभावक योजना :–

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन देने तथा उनके समस्याओं के निदान हेतु छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हाते ही अभिभावक के रूप में एक शिक्षक से संबंद्ध कर दिया जावेगा। जब तक विद्यार्थी महाविद्यालय में अध्ययनरत रहेगा वही शिक्षक उसका शिक्षक अभिभावक होगा। शिक्षक–अभिभावक संबंधित छात्र से जीवंत संपर्क बनाए रखेंगें एवं छात्र संबंधी पुरी जानकारी (घरेलू एवं व्यक्तिगत) रखेगें। छात्र कक्षा में उपस्थिति, उसकी प्रगति, छात्रवृत्ति, परीक्षा फार्म भरना, छात्र की रूचि को विकसित करना, उसकी समस्या का निदान करने का भरसक प्रयास करना, छात्र के माता–पिता से संपर्क रखना आदि कार्यो की महती जिम्मेदारी शिक्षक–अभिभावक को सौपी गई है। इस योजना की सफलता के लिए छात्रों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है

20. पाठ्येत्तर गतिविधियां :–

शैक्षणिक पाठ्यक्रम की भांति इस महाविद्यालय में पाठ्येत्तर गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दृष्टि से इस महाविद्यालय में निम्न लिखित व्यवस्थायें है।

20.1 खेलकूद :–

छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के ध्येय से इस महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गयी है। शासन की ओर से खेलकूद का प्रशिक्षण देने के लिए एक राजपत्रित क्रीडा अधिकारी नियुक्त है। इसके अलावा प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक को खेलकूद से संबंधित विविध गतिविधियों की देखभाल के लिए सचिव के रूप में मनोनित किया जाता है। प्रत्येक खेल के लिए प्रभारी प्राध्यापक रहता है। इन सबकों मिलाकर एक समिति गठित होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के संरक्षक और अध्यक्ष रहतें है। यह समिति खेलकूद संबंधी निधि और गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण करती है। महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त खेलकूद सुविधाओं – इन्डोर एवं आउट डोर का विवरण निम्नांकित है :–

(क) आउट डोर गेम – क्रिकेट, बैंडमिन्टन, व्हालीवाल, कबड्डी, खो–खो एवं एथलेटिक्स

(ख) इन्डोर गेम – कैरम एवं शतरंज

20.2 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :-

छात्र-छात्राओं को समाज सेवा तथा जन कल्याण कार्यो का प्रशिक्षण देने के ध्यये से इस माहविद्यालय में राष्ट्रिय सेवा योजना की भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत छात्रों को पढाई के साथ समाज सेवा का अवसर मिलता है। इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई है। जिसमें 100 छात्र को प्रवेश दिया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी में मिलजुलकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। विद्यार्थी रचनात्मक, सामाजिक कार्यो में भाग लेता है, समाज के नागरिकों विशेषकर ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है। सामाजिक बुराई, यथा अशिक्षा, अच्वच्छता, अस्पृस्यता, अंधविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

20.3 छात्र संघ का गठन :-

सत्र 2014-15 से वि.वि. के अध्यादेश क्र 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सत्र मे छात्र संघ का गठन किया जाता है। इनमे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सचिव, सह-सचिव,छात्र संघ पदाधिकारी एवं प्रत्येक कक्षा/ सेक्शन से एक कक्षा प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से निर्वाचित होता है। छात्र संघ के अंतर्गत ही विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

विशेष

1. जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालीयन असावधानीवश, यदि किसी अवेदक को प्रवेश मिल गया है तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।
2. प्रवेश लेकर किसी कारण वश पूर्व अनुमति/सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. म. प्र. भोज विश्वविद्यालय भोपाल से स्नातक की खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर रविशंकर विश्वविद्यालय की खंड परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नही है।
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान महाविद्यालय छोडने/ प्रवेश निरस्त होने/ निष्कासन होने की स्थिति में विद्यार्थी को सिर्फ उसकी संरक्षित निधि (कॉशन मनी) ही वापस होगी।
5. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य हो है।

छत्तीसगढ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वरा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशीभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा , अभ्रद व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा परिवेश की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सवर्था वर्जित करेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना, गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन , हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलो, कार्यकताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एनसीसी/एनएसएस में भी लागू होगी । अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा , उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय मे पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोडफोड करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताडना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यो को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगें।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन्नसीसी कैम्प/ एनएसएस कैम्प/ खेलकूद/ राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा
4. उपस्थिति की गणना सत्र में दो बार की जावेगी ।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जायेगी।
6. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगें।

महाविद्यालय परिवार

डॉ. एन.एस. वर्मा (प्रभारी प्राचार्य)

1.	श्री राजेश द्विवेदी	–	सहा. प्राध्यापक हिन्दी
2.	श्री अविनाश पाण्डेय	–	सहा. प्राध्यापक रसायन शास्त्र
3.	श्री दुर्गा सोनी	–	सहा. ग्रेड 1
4.	श्री कुंजलाल बंजारे	–	सहा. ग्रेड 2
5.	श्री थानेश्वर प्रसाद	–	भृत्य
6.	श्री चंन्द्रशेखर लोधी	–	भृत्य

8. ओमप्रकाश कुम्हार - प्रयोगशाला तकनीशियन
6 - राजेन्द्र प्रसाद रंवा – –"– .

शासकीय नवीन महाविद्यालय
साल्हेवारा – छत्तीसगढ़

201

प्रवेश क्रमांक .....

आवेदन पत्र क्रमांक

12 वी उत्तीर्ण वर्ष .....

प्राप्तांक/पूर्णांक.....

प्रवेश आवेदन-पत्र
सत्र 2015-16

आवेदक अपने स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय नवीन महाविद्यालय

साल्हेवारा जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

मैं आपके महाविद्यालय में अध्ययन करना चाहता हूँ प्रवेश देवें की कृपा करें।

संकाय एवं कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये :-

संकाय/विषय ..... कक्षा .....

(अ) अनिवार्य विषय/प्रश्न पत्र

(1) .....(2).....(3).....

(4) .....(5).....

(ब) वैकल्पिक प्रश्न पत्र समूह (1).....

(2) .....(3).....(4).....

1. (अ) आवेदक का पूरा नाम : .....

(ब) पूरा पता (1) वर्तमान पता :.....

(2) स्थायी पता :.....

2. (अ) जन्म तारीख (अंकों में) :.....

(ब) रक्त समूह (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : .....

3. (अ) पिता का नाम :.....

(ब) माता का नाम :.....

(स) अभिभावक का नाम (यदि पिता जीवित न हों) :.....

(द) अभिभावक से आवेदक का संबंध :.....

4. पिता/अभिभावक से आवेदक का संबंध :

(अ) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी कर्मचारी हैं ? हाँ/नहीं

5. जन्म स्थान तथा राष्ट्रीयता (1) स्थान.....(2) जिला .....

(3) राज्य ..... (4) राष्ट्रीयता .....

6. वर्ग अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य .....(अ) जाति एवं उपजाति.....

7. यदि आवेदक अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग/विकलांग छात्र/छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय/चतुर्थ कर्मचारी की संतान/सेना में कर्मचारी की संतान/स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं उनके पौत्र-पौत्रियों हों, तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र नत्थी किया जावे:.....

(अ) यदि आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, तो- मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी.....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है,-यदि हां तो किस स्थान का पूर्ण विवरण दें:.....

9. पिता/अभिभावक के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि .....

10. यदि पिता/माता स्थानीय न हो तो अभिभावक का पूरा नाम, पता एवं आवेदक से संबंध :-

(1) नाम .....

11. (अ) उस अंतिम संस्थान का नाम जिसमें आवेदक ने अध्ययन किया .....

..... वर्ष .....

(ब) विश्वविद्यालय का नाम एवं नामांकन क्रमांक (नियमित) .....

अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) छात्र के रुप में.....

12. आवेदक के शैक्षणिक प्रगति का विवरण (विगत उत्तीर्ण कक्षाओं का विवरण अनिवार्य रुप से दें एवं प्रमाप-पत्र संलग्न करें)

कक्षा	उत्तीर्ण करने का वर्ष, विशिष्टता और विषय						मा.शि.मं या	पिछली शिक्षण	विशेष
	रोल नं.	वर्ष	परीक्षाफल प्राप्तांक	श्रेणी या मेरिट स्थान	विशिष्टता	विषय नाम	वि.वि. का नाम	संस्थान का	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10+2 परीक्षा हायर सेकेण्डरी									
बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी.-1									
बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी.-2									
बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी.-3									
एम.ए. एम.कॉम,-पूर्व									

(नोट :- कक्षा दसवीं की अंकसूची भी संलग्न करें)

13. पिछली परीक्षा का माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) .....

14. क्या विगत 4 वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम निरंतर जारी रहा है, यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावें?

.....

.....

15. हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नांकित गतिविधियों में यदि जिला, संभाग, राज्य क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया गया हो उसका विवरण दें व प्रमाण-पत्र संलग्न करे,

(ए) खेलकूद गतिविधियों का नाम .....

(बी) सांस्कृतिक गतिविधियां - गायन, वादन, नृत्य, नाटक आदि .....

(सी) साहित्यिक गतिविधियाँ-निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, परिचर्चा, वाद-विवाद आदि

.....

(डी) स्काऊट गाइड, एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं साहसिक गतिविधियां.....

16. (अ) क्या गत वर्षों में आवेदक इस महाविद्यालय में अथवा किसी महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था जो उसे नहीं दिया गया ? (यदि ऐसा है, तो उसका पूर्ण विवरण दीजिये) .....

.....

(ब) आवेदक ने इस समय में महाविद्यालय में अथवा अन्य किसी महाविद्यालय में किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदन किया है?

.....

17. क्या आवेदक सेवारत है, यदि हां तो विवरण देकर नियोक्ता की महाविद्यालय में अध्ययन के लिये लिखित अनुमति संलग्न किया जाये.....

18. क्या आवेदक के माता/पिता/अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं ? (यदि हां तो शासन द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) .....

19. यदि आज अ.जा./अ.ज.जा. के छात्र/छात्रा हैं एवं रेमिडियल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आवेदन पत्र संलग्न करें (संलग्न है/नहीं है) .....

20. आप कौन-कौन सी शैक्षिकेत्तर गतिविधि में विशेष रुप से भाग लेंगे :- सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण जागरुकता, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, एड्स संबंधी जागरुकता कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, पर्यावरण जागरुकता, चिकित्सा शिविर..... .....

21. 1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र (मूलप्रति), 2. जन्म तारीख का प्रमाण-पत्र, 3. छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण-पत्र, 4. चरित्र प्रमाण-पत्र, 5. नियोक्ता की स्वीकृति, 6. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति/विकलांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा, माता-पिता के छ.ग. शासन के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र, 7. प्रवजन प्रमाण-पत्र, 8. अंकसूची (सत्य प्रतिलिपि), 9. गैप प्रमाण-पत्र (यदि स्वाध्यायी छात्र के रुप में परीक्षा पास किया हो), 10. पात्रता प्रमाण-पत्र (पं.र.वि.वि. रायपुर, मा.शि.मं., छ.ग. एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली को छोड़कर अन्य बोर्ड्स आते हैं तो), 11. रक्त समूह का प्रमाण-पत्र, 12. गरीबी रेखा के नीचे आने का प्रमाण-पत्र, 13. रेमिडियल पाठ्यक्रम में सहभागिता हेतु आवेदन पत्र.

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं स्वीकार करता/करती हूं, कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है, तथा प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्त्तव्यों, महाविद्यालय में नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूंगा/रहूंगी, तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी में प्रत्येक मामले में प्राचार्य द्वारा बताये गये नियमों एवं निर्देशों का पालन करुंगा/करुंगी। पदाधिकारी के रुप में प्राचार्य महोदय अथवा उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की पूर्व अनुमति बिना केाई व्यय नहीं करुंगा/करुंगी। मेरी ओर से महाविद्यालय का कोई शुल्क अथवा किसी संबंध में कोई धनराशि देय नही है, तथा मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध गत वर्षों में अनुशासन भंग, दुराचरण, परीक्षा में अनुमति साधनों का प्रयोग अथवा किसी दुर्व्यवहार के कारण से महाविद्यालय या किसी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। (टिप्पणी की गई हो तो उसका विवरण दें) मैंने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है, तथा उसमें जब कोई परिवर्तन होगा मैं उसकी सूचना तुरन्त दे दूंगा/दूंगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूं, कि मैंने किसी भी तथ्य को न छुपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जाकर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

मैंने महाविद्यालय की विवरण पत्रिका में दिये गये छात्रों के आचरण संबंधी नियमों का अध्ययन कर लिया है, तथा प्रतिज्ञा करता/करती हूं, कि उसका पूर्ण से पालन करुंगा/करुंगी।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

माता-पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं, कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उसके आचरण, कार्य उपस्थिति तथा प्रतिदिन प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा/दूंगी तथा इसके लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा।

स्थान .....

दिनांक .....

.....

माता/पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

मैं..... पिता/माता .....

कक्षा ..... विभाग/छात्रावास .....घोषणा करता/करती हूं, कि मुझे ज्ञात है, कि न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है, मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा/रहूंगी। मुझे रैगिंग के सन्दर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है, और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी, जाता/जाती हूं, तो मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी।

.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैंघोषणा करता/करती हूं, कि मेरा पाल्य रैगिंग केकिसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी, मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएं ज्ञात है, यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाता/जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा में मैं सहमत रहूंगा/रहूंगी।

माता/पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

टीप :- यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए तो छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्रवेश समिति के संयोजक/प्रवेश प्रभारी प्राध्यापक की अनुशंसा

1. आवेदक को उल्लेखित कक्षा एवं विषयों में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है -

   कक्षा ..... संकाय ..... विषय .....

2. आवेदक को निम्नलिखित प्रतिबंधों पर प्रवेश दिया जाये -

   (अ) विषय परिवर्तन .....

   (ब) आवेदन पत्र की निम्नलिखित आपूर्तियां पूरी की जावे .....

3. आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाये, क्योंकि .....

.....

संयोजक/प्रवेश प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर

आवेदक को कक्षा..... में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी प्रवेश दिया जाता है/ आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

.....

प्राचार्य के हस्ताक्षर

प्रवेश-पत्र निर्गमित किया/आवेदन पत्र स्वीकृत करने सूचना दी गई

.....

संयोजक/प्रभारी प्राध्यापक प्रवेश/प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर

पावती

आवेदन पत्र क्रमांक..... दिनांक.....

श्री/कुमारी ..... कक्षा ..... प्राप्त किया।

दिनांक .....

हस्तक्षार प्राप्ति लिपिक